



# पं. रघुविंशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.म.)

स्थान : पं. रघुविंशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.म.) | फोन : ०७७१-२२३४३५०० | ई-मेल : [academics@rvt.edu.in](mailto:academics@rvt.edu.in)

क्रांति २०३२/जन./२०२३

रायपुर दिनांक : ०२/०६/२०२३

खंड

## १. जच्छ/चंचलक

चंचलक जच्छविद्यालय/संस्थान  
पं. रघुविंशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय  
रायपुर

## २. प्राचार्य

चंचलक चंचलक नहाविद्यालय  
पं. रघुविंशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय  
रायपुर

मिश्य :- प्रवेश नार्यदर्शीका लिहांत २०२३-२४ का प्रेषण।

चंदमी :- अग्र चंचलक चंचलक नहाविद्यालय का पत्र क्रांति ३४४८/१२५३/आठसि/८८/२०२३ नवा रायपुर जटल नवर दिनांक ०१.०६.२०२३

—००—

विषयालयर्थक लेख है कि कार्यालय जायुक्त चच्च विज्ञा संचालनालय, इंदायतो नवन् उटल नवर न्या रायपुर छात्र विज्ञा सत्र २०२३-२४ हेतु जारे प्रवेश नार्यदर्शीका लिहांत को प्रति पत्र के राय चंचलक जारी कर दें।

कृपया अपने जच्छविद्यालय/नहाविद्यालय के सनस्त विषयको/कर्मचारियों को इतने अवगत कराए हुए इस नार्यदर्शीका लिहांत २०२३-२४ में दिए यह प्राप्तियों का जस्तरक लाइसेंस से पालन करना चाहिए।

चंतान :- एचडीएनुचार कुल १९ पृष्ठ।

जादेशानुचार

पृ. क्रांति २०३३/जन./२०२३

रायपुर दिनांक : ०२/०६/२०२३

प्रतिलिपि :-

१. एप कुलत्तचिद परेक्षा/चलायक कुलत्तचिद गोपनीय/साना प्रसा/विभाग
२. इनार्ये जधिकारी नामांकन/चपाई प्रक्रोल/जधिकारी छात्र कत्थाण/वित्त नियंत्रक
३. चंचलक, नहाविद्यालय, विकास परिषद्
४. कुलभवे जो के सचिव/कुलत्तचिद के निज सहायक, पं. रघुविंशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ रवं जाप्त्यक कार्यपाले हेतु।

एप कुलत्तचिद (ज.का.)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
ब्लॉक सी-३, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - [higereducation.cg@gmail.com](mailto:higereducation.cg@gmail.com) Website - [www.higereducation.cg.gov.in](http://www.higereducation.cg.gov.in))  
क्रमांक ३९४८/१२५३/आउशि/सम./२०२३ नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक ०१/६/२०२३  
प्रति

1. कुलसचिव  
समस्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,  
समस्त महाविद्यालय, छत्तीसगढ़।

कुलसचिव  
महाविद्यालय  
नवा रायपुर, अटल नगर  
दिनांक ०१/६/२०२३

**विषय :-** छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों के लिये सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का घ्रेषण।

**संदर्भ :-** अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ १७-९५/२०१७/३८-२ नवा रायपुर अटल नगर दिनांक ३१.०५.२०२३

—००—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है, कि छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के लिये सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2023-24 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2023-24 में दिये गये प्रावधानों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

पृष्ठांक ३९४९/१२५३/आउशि/सम./२०२३

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंदिकापुर/दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)  
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक ०१/६/२०२३

अपर संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

DR (A/cnt) / DR (R/w)  
1/6/23  
Birm  
01/06/23

R/w  
1/6/23



कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - [highereducation.cg@gmail.com](mailto:highereducation.cg@gmail.com) Website - [www.highereducation.cg.gov.in](http://www.highereducation.cg.gov.in))  
क्रमांक ३१४८/१२५३/आउशि/सम./२०२३ नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक ११/६/२०२३  
प्रति

1. कुलसचिव  
रागरत्न विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,  
समस्त महाविद्यालय, छत्तीसगढ़।

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों के लिये सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का प्रेषण।

रांदम्भ :- अवर राज्यिक, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ १७ ९५/२०१७/३८-२ नवा रायपुर अटल नगर दिनांक ३१.०५.२०२३

00

उपरोक्त विषयांतांगत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है, कि छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2023-24 की प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।

कृपया प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2023-24 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना रुनिश्चित करें।

रांतरन - उपरोक्तानुराग।  
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)  
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक ११/६/२०२३

पृ.क्रमांक ३१४८/१२५३/आउशि/सम/२०२३

प्रतिलिपि :-

1. अवर राज्यिक, छ.ग.शासन उच्च पिक्षा विभाग मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/विलासपुर/जगदलपुर/अविकापुर/दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

अपर रांचालक  
उच्च शिक्षा रांचालनालय  
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय:  
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर  
Email:-higher-education@cg.gov.in

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक ३१/५/२०२३  
प्रति,

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इंद्रावती भवन,  
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये रात्र 2023-24 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका  
सिद्धांत तैयार करने बाबत।

संदर्भ:- आपका प्रत्यावर क्रमांक 3921/1253/आउशि/राम/2023 दिनांक 12.05.2023

-----00-----

विषयांतर्गत उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये  
शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

आपके प्रत्यावानुसार सभी राष्ट्रीय संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध बराते  
हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कडाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित  
करने का कष्ट करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(M) (ए.आर.खान)

अवर सचिव

४०८० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पु क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2

नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक ३१/५/२०२३

प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय गंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
- निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,  
रायपुर  
की ओर सूचनार्थ अप्रेषित।
- गार्ड फाईल।

अवर सचिव

४०८० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

M.

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए  
सत्र 2023-24  
हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

## छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2023-24

## 1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय नहाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम - १९७३ के तहत अध्यादेश क्रनाक ६ एवं ७ के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा उनसे प्रावार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेनेटर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।

## 2. प्रवेश की तिथि :-

## 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

इस वर्ष विश्वविद्यालय त्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाइन" फार्म जमा कराया जाएगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस नहाविद्यालय को प्रेपित किये जाएंगे। ऑनलाइन से प्राप्त आवेदनों में से प्रावार्य, शासन से प्राप्त प्रदेश मार्गदर्शक सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रदेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाइन" आवेदन जमा दर्ता हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचीर्य द्वारा निर्धारित आवेदन एवं उनसे प्रभान्य पत्रों तहित निर्धारित दिनाक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रदेश हेतु दोड़/दिशवांविद्यालय द्वारा अकस्तूरी प्रदान न किये जाने के स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचीर्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर विना अंकरूद्धी के दोड़ एवं पत्र जमा किये जाएंगे।

## 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 31 जुलाई तक तक शासन ख्यात तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचीर्य प्रवेश देने ने तक्षण होंगे। (स्नातक पद्धन वर्ष में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक एवं परीक्षा परिपालन घोषित होने के 10 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जमा अंदेंगों के अनुसार प्रवेश

卷之三

आपेक्षक 'का' के लिये असम वापर (३) में प्राचीनतम् है विश्वविद्यालय किसी कहानी में वर्णिता थी। उसको आप सभी भाषाओं का विवरणित रूप 'का' ने वही बदल दिया है (४) जो लिखी प्राचीनतम् में अब वह एको लोक नाम है, जिसका वापर वह वही वाहन विद्युत लोकोंमा। आपेक्षक 'का' में वापर (३) में वही विवरण दिया है, कि वही वही प्राचीनतम् में एको वाहन विद्युत लोकोंमा वापर (५) में वर्णित वही वही वाहन (६) में वर्णित है। वही वही वाहन विद्युत लोकोंमा।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨ ਵਚੀਂ ਜਾਂਚੋ ਕੇ ਲਿਏ ਪਲੇ ਕੀ ਵਾਰਾ ਹਿੱਤੇ ਰਿਹਾਂਦੇ ਹਨ॥

3. unter Wasser am Rande

31 *Mathematics of Control*

- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं पद्धतिगति पात्रकम वी.ए.एल.एल.बी. की कक्षाओं ने यार कौरिल द्वारा निर्धारित गापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति रोक्षन (न्यूनतम 2 सेक्षन एवं अधिकतम 5 सेक्षन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जाये।
- 3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आगदकों को प्रवेश देंगे।
4. प्रवेश सूची :-
- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देता हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अहंकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देना है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों को मूल प्रमाण पत्रों से निलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रदेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रदेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की भोवर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही नहाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की जाने तगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रदेश सूची को शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर राजी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/-—अशास्त्रीय मद में अतिरिक्त स्पग्न रे वरूला जायेगा। तथापि ऐसे प्रकरणों में 14 अगस्त के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये; स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटरथ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्ण प्रवेश पत्र संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने के स्थिति में ही प्रदेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से बधान पत्र तिया जाये।
- 4.6 नहाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे यि, संबंधित छात्र रींग/अनुशासन/होमर्स/तोड़फोड़ आदि में

रांगिस्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस नहाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, उत्तीर्णगढ़ में रथायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या छेन्ड सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संबलित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थायितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त वोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आपार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय रो या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /वोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय ने प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पत्रता प्रभाण-पत्र पाप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रदेश की पात्रता होगी; किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय ने प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय रे उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (दायों/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रदेश नहीं दिया जाएगा।

*Chetan*

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

### 5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

(क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कगश. एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-प्रथम रोमेस्टर एवं अंडरकारी विषय लेकर बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-री/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम रोमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हां। उपरोक्त के अतिरिक्त अहंता के संबंध में संकाय की स्थिति में संयुक्त विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अहंता ही वधनकारी होगे।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। रोमेस्टर पद्धति की, पूर्व अंडकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

### 5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एत.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कगश. एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय रोमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यहीं प्रक्रिया लागू होगा।

### 5.5 प्रवेश हेतु अंडकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

(क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक रोमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग 42%) होगी। तथा टिप्पणी

ज्ञात

रानातकोत्तर पूर्णांच में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ओ.सी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

- 5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों ने प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।
6. समक्ष परीक्षा :-

  - 6.1 सोन्हल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कॉस्मिटिक फार रोलेंडरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यांगिक शिक्षा गण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। प्राचार्य मान्य बोर्ड की रूपी राम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
  - 6.2 सामान्यतः भारत में विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय राध (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी सामरत परीक्षाएं छत्तीसगढ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के तरनक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूर्यार्थी पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, फिंतु राज्य शासन से अनुगति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ राज्य में अध्ययन केंद्र/ऑफ कौपरा आदि खोलकर छात्र छात्राओं को प्रवेश देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं ने डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
  - 6.3 राम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षाय संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी गर्जी अध्ययन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य राम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वा प्राप्त करें।
  - 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूरफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को दिश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में रानातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समदृत्य प्राथमिकता प्रदान की जाये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशाराकीय पत्र क्रमांक १-५२/२०१३ (सी.सी./एन.वी.ई.क्यूरफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

"जैसा कि आपको जात है आर्थिक कार्य विभाग, नित्य गत्वालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय घैंशल अहंता संस्थना (एनएसव्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा राष्ट्रीय

व्यावसायिक शैक्षिक अहंता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्गमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ ने अधिसूचित किया दिया है कि वह १ से १० स्तर तक के प्रनाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर ५ से स्तर १० तक के प्रनाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर १ से स्तर ४ तक के प्रनाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुस्तरण में कुछ स्कूल बोडी द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समनुत्त्व/रामरत्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर ४ के प्रनाणित स्तर सहित १०+२ शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संराधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +२ स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस सभव छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समनुत्त्व प्राप्तिकर्ता प्रदान को जावे, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यान्वक्ता के लिए चुअयसर मिल सके।

#### 7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.इस.-सी./बी.एच.एस.-सी. में एकोकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी नहायिद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय ने पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। अवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रनाण-पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्ट की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय रोमेस्टर परीक्षा एवं दिधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्यात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर रामबंधित विद्यार्थी डा. प्रदेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश ले किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर देवा जाएगा। अन्य राज्य के

५४५१-

- आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रगार्हीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना। अनिवार्य है।
- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्थायी आवेदकों को रक्षान् रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नववर तक, निर्धारित शुल्क लेकर नात्र प्रायोगिक जार्य करने की अनुमति प्राप्तार्थ द्वारा दी जा सकती है।
- 8 अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-
- 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
  - 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-कंटी पार्ट आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
  - 8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष से निर्धारित एग्री�ेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
  - 8.4 उपरोक्त कड़िका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
  - 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।
- 9 प्रवेश हेतु अर्द्धताएँ :-
- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी सकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/वर्धा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व रात्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जाएगा। उसे नात्र मूल स्थानतरण प्रनाग-पत्र तथा शन्थ-पत्र जिससे प्रभाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
  - 9.2 जिनके विलद्व न्यायालय में घालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपशिक्षक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व स्तर में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ

दुर्व्यवहार/गारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो। ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

- 9.3 महाविद्यालय में जोडफोड करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने या/रेंगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जायें। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किरणी भा. शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाये।

#### 9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

- (क) छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के एक क्रमांक एक १०-१५/२०१७/३८-२ दिनांक १५.०८.२०२१ द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बमन को समाप्त किया गया है।

- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगाने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उत्तरात लगाने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आदेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रनाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।

- 9.6 किरणी संकाय ने स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किरणी अ.ग. चंकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

#### 10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अहकारी परीक्षा तथा प्राप्ताक एवं अस्ट्रिमार देय है तो अधिगार जोडकर प्राप्ता कुल प्रतिशत अंकों के अनुसार पर तथा  
(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा ता. प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

- 10.2 अनप्रक्षित एत आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

#### 11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

- 11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अहकारी परीक्षा के प्राप्ताक के आधार पर प्राधीण्य सूची तैयार की जावेगी।

- 11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त यूर्ध सत्र के नियमित/स्थायाची विद्यार्थियों के क्रम में होगा।
- 11.3 धिधि सकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाते, अन्य कम गण्यता रहेगा।
- 11.4 स्नातक सत्र के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष ने प्रवेश के लिए प्रदेश के किरी भौं महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत अध्ययन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।
- 11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय को स्नातकोत्तर कक्ष में प्रदेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की विधि में ही दिया जा सकेगा।
- 12 आरक्षण-उत्तीर्णसंगठ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा:-
- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :-
- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञात संख्या में से बतील प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी;
- (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञात संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञात संख्या में से दोदह प्रतिशत सीटें अन्य विछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुरूपित जाति/अन्य विछड़ा वर्ग के लिए रीटों पर भी टिप्परित कम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपत्तिभत्ता के कारण अतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत छम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।
- परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।
- 12.2 (1) विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन अवश्य सीटों का आरक्षण उद्धारित (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

- (2) निःशक्ता व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्गिको/पुत्रपुर्व सेनानी, खततत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के उपतंत्रता वर्गों के संबंध में क्षतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य रारकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन दायरस्थिति, उद्धारधर आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 खततत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये ३ प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए ५ प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।
- 12.4 सभी दर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अन्तरक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार भेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की रीट धर्थावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग ऊरों- खततत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो सर्वग की यह रीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी गानी जावेगी, शेष संवर्ग की रीटें भरी जायेगी।
- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होंगा। 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को ५ प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रदेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में १० प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन दिया जाये।
- 12.9 गणिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक दल्लूपी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेंस अधारिटी टिरुक्क भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 के कांडिलो 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि— "We direct the Centre and the State Government to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाइ से पालन किया जाए।
- टीप :- अवर सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ 13-1/2023/आ.प्रा /1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 के अनुरूप आरक्षण संबंधी प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्र. 19668 / 2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

रामेश

13. अधिभार :-

आधिभार भात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पावता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अहंकारी परीक्षा के प्राप्ताकां के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समरत प्रमाण-पत्र प्रयोग आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनियार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु दिचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को रकाउट्स/गाइड्स/रेञ्जर्स/रोवर्स के अर्थ में नहीं जावे।

- |      |   |            |
|------|---|------------|
| (क)  | एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट  | 02 प्रतिशत |
| (ख)  | एन.एरा.एस./एन.सी.सी. "ची" सर्टिफिकेट<br>या छठीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स   | 03 प्रतिशत |
| (ग)  | "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स  | 04 प्रतिशत |
| (घ)  | राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता<br>में युप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को  | 04 प्रतिशत |
| (च)  | नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छठीसगढ़<br>के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्यूनेस में भाग लेने<br>वाले विद्यार्थी को   | 06 प्रतिशत |
| (छ)  | राज्यपाल स्काउट्स   | 05 प्रतिशत |
| (ज)  | राष्ट्रपति स्काउट्स   | 10 प्रतिशत |
| (झ)  | छठीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केंडेट   | 10 प्रतिशत |
| (य)  | ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केंडेट   | 10 प्रतिशत |
| (र)  | भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज पोशाम में<br>भाग लेने वाले केंडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए<br>चयनित एवं प्रवास करने वाले केंडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय<br>जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को | 15 प्रतिशत |
| 13.2 | आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर<br>कक्षा में उररी विषय में प्रदेश लेने पर   | 10 प्रतिशत |

- 13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / किंवज / रूपांकन प्रतियोगिताएँ :-
- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला समाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अतार समाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत  
 (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
- (2) उपर्युक्त कांडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तरसमाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तरक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय दिशविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत  
 (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत  
 (ग) समाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय दिशविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत  
 (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत  
 (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत
- 13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्नरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदरयों को 10 प्रतिशत
- 13.5 छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में -
- (क) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत  
 (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- 13.6 जम्बू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अधारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवंश दिया जाए जिनकी उन्हे पात्रता है कि . .

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को सचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रायाण्डित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्ध पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु रकूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिगार हेतु मान्य किये जायेगे। रनातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय उर्ध्व में प्रवेश हेतु पूर्य सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय/विषय/मुष्प परिवर्तन :-

स्नातक/रनातकोत्तर प्रथम वर्ष में अहंकारी परीक्षा के सकाय/विधि/मुष्प परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्ताकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटने हुये प्राप्ताकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान सकाय/विषय/मुष्प परिवर्तन की अनुमति नहाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या तिलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संवर्धित विषय/सकाय की मूल गुणानुक्रम रूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समक्षा या उक्सांसे अधिक हो।

15 शोध छात्र .-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रदश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर को अनुशर्ता पर प्रादाय इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन ग्रन्त में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिये रानंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निदेशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्रायोगिक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत हो आगामी रोप कार्य रपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कायंतर हैं, तो

सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेपित उपरिथिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में भद्रस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र रथानातरग हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी स्थिति में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां सं उनका शोध अवेदन पत्र अग्रेपित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबन्ध उरी। महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेपित करें; संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहभागिता करते हुए लागू होगा।

#### 16 विशेष :-

- 16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गए प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यात्मकीय असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश निलंबित हो जाए तो वह ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, दूर्घट अनुमति या रूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद रात्र के दौरान कांडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों ने लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सब के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किर्भी इंजिनियर में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट ही। यह अभिनव देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्ता, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेपित लिखकर प्रेपित न किया जायेगा।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उत्तेजित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/राशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को होगा।